प्रेस-विज्ञप्ति

मतदाता पहचान कार्ड के साथ चुनाव के लिए अन्य आठ दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने किया मान्य

दीव 20 अक्टूबर, 2020: आज दीव समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं के लिए मतदाता कार्ड (EPIC) के अतिरिक्त आठ अन्य दस्तावेजों को भी मतदाता के पहचान हेतु मान्य घोषित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि मतदाता कार्ड (EPIC) के अलावा आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, मोटर ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों द्वारा के साथ-साथ संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को जारी की गई सेवा पहचान-पत्र, बैंक/किसान/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो लगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्तमान समय में, लगभग 98 प्रतिशत वोटरों को मतदाता कार्ड (EPIC) जारी किये जा चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनके पहचान-पत्र गुम हो गये हैं और किसी भी परिस्थिति में उनके पास मतदाता कार्ड नहीं है। ऐसे मतदाताओं की दुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के साथ-साथ उक्त आठ दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिसे दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने मतदान हेतु मतदाता को मतदाता कार्ड (EPIC) नहीं होने की स्थिति में उपर्युक्त आठ दस्तावेजों से अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)

दीव